समाहरणालय मधेपुरा।
जिला आपूर्ति शाखा)
आदेश

मधेपुरा जिला क्षेत्रान्तर्गत बाढ़ आपदा से प्रभावित प्रखंड आलमनगर के 07 पंचायत एवं प्रखंड चौसा के 06 पंचायत में बाढ़ आपदा रहने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहने तथा ईधन की समस्या उत्पन्न है। उक्त क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए रात्रीकाल में रोशनी तथा दैनिक ईधन उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से नियमित मासिक किरासन तेल के अतिरिक्त बाढ़ आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच प्रति परिवार आधा लीटर किरासन तेल मुहैया कराना आवश्यक है। तदनुसार विभाग से आवंटन के प्रत्याशा, में माह जुलाई,2016 के लिए मासिक नियमित आवंटित किरासन तेल के अतिरिक्त बाढ़ प्रभावित प्रत्येक बी0पी0एल0/अन्त्योदय/ए0पी0एल0 परिवारों के लिए, आधा लीटर (पॉच सौ मिलीलीटर) की दर से मुहैया कराने हेतु निम्न रूपेण किरासन तेल का उपवांटन किया जाता है:-

क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	कुल अन्त्योदय/ बी0पी0एल0/ ए0पी0एल0 परिवारों की संख्या	आवंटित किरासन तेल की मात्रा (लीटर में)	सम्बद्व थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम
1	3	4	5	6	7
1	चौसा	फुलौत पूर्वी	2147	1073.50	मेसर्स श्यामा स्टोर बिहारीगंज
2		फुलौत पश्चिमी	2109	1054.50	
3		मेरसण्डा	2503	1251.50	
4		लौआलगान पूर्वी	2823	1411.50	
5		लौआलगान पश्चिमी	2369	1184.50	
6		चिरोरी	1948	974.00	
7	आलमनगर	किसनपुर रतवाड़ा	3824	1912.00	मेसर्स शंभूनाथ चौधरी, आलमनगर
8		खापुर	3505	1752.50	
9		गंगापुर	3726	1863.00	
10		ईटहरी	2297	1148.50	
11		बइगॉव	2320	1160.00	
12		कुजौरी	3587	1793.50	
13		आलमनगर दक्षिणी	3062	1531.00	
		योगः-	36220	18110.00	

2. विगत माह में वितरण के पश्चात मेसर्स श्यामा स्टोर, बिहारीगंज थौक किरासन तेल विक्रेता के भंडार में उपलब्ध किरासन तेल की मात्रा 9084.50 लीटर एवं मेसर्स शंभूनार्थ चौधरी, आलमनगर, थौक किरासन तेल विक्रेता के भंडार में उपलब्ध किरासन तेल की मात्रा 12541.600 लीटर (कूल 9084.50+12541.600=21626.100लीटर) किरासन तेल नों से बाढ़ प्रभावित परिवार हेतु उवांटित किया गया है।

2. अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चौसा/आलमनगर को निदेश दिया जाता है कि उक्त उपवांटित किरासन तेल का जन वितरण प्रणाली के माध्यम से अविलम्ब उठाव कराकर बाढ़ से प्रभावित उक्त परिवारों के बीच अपने पर्यवेक्षण में वितरण कराना सुनिश्चित करेगें एवं वितरण के तुरंत बाद अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करायेगे।

3. आवंट्ति किरासन तेल का स्टॉक पंजी/वितरण पंजी अलग से संधारित करेगें।

4. आवंट्ति किरासन तेल के उठाव एवं वितरण में किसी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता पाये जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जबावदेह होगें और उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

5. बाढ आपदा हेतु आवंट्ति इस किरासन तेल का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

6. अनुमंडल पदाधिकारी,उदाकिशुनगंज को निदेश जाता है कि किरासन तेल का वितरण शतप्रतिशत उक्त परिवारों के बीच हो अपने स्तर से अनुश्रवण करते रहेगें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक......571.../आ0 मधेपुरा, दिनांक......27.07.16

प्रतिलिपिः- थौक किरासन तेल विक्रेता, आलमनगर/चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, आलमनगर/चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी, आलमनगर/चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनग/चौसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशनुगज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव, आपदा प्रबधंन विभाग,बिहार पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना बिज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितो को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

27/7/16

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।